



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University Established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009)

Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154

क्रमांक: 362 / परीक्षा / 2014

बिलासपुर, दिनांक: 26.09.2014

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- विषम सेमेस्टर सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में ।

महोदय,

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं फार्मसी विभाग में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-

- 1 बिना विलंब शुल्क के जमा करने की तिथि 14.10.2014
- 2 विलंब शुल्क रुपये 100/- के साथ जमा करने की तिथि 20.10.2014
- 3 विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 21.10.2014
- 4 विशेष विलंब शुल्क रुपये 100/- प्रति दिवस सहित परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के 03 दिवस पूर्व तक जमा कर सकते हैं ।
- 5 ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है परीक्षा परिणाम घोषित होने के 03 दिवस के भीतर परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं ।
- 6 प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को ही अनुक्रमांक आवंटित किया जायेगा शेष छात्रों का अनुक्रमांक पूर्व में जारी अनुक्रमांक ही मान्य रहेगा ।

टीप:- विभागाध्यक्ष कृपया यह ध्यान रखे की समस्त छात्रों द्वारा IUMS में Subject Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ही छात्रों की परीक्षा आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे ।

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 26.09.2014

क्रमांक: 363 / परीक्षा / 2014

प्रतिलिपि :-

- 1 कुलपति एवं कुलसचिव जी के निज सचिव/निज सहायक को कुलपति एवं कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
- 2 अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
- 3 वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, भंडार, गोपनीय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
- 4 जनसम्पर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 5 प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक/बैंक ऑफ इंडिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 6 विभागाध्यक्ष सी.एस.आई.टी. विभाग को वेबसाइट में Upload करने हेतु प्रेषित ।

उप-कुलसचिव (परीक्षा)